



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 1 जुलाई, 2020

आषढ 10, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 663/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश(127)-2020

लखनऊ, 1 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-143

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2017) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 445/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश(118)-2020 तारीख 11 मई, 2020, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खण्ड (ii) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह कि जहां उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के अधीन 24 मार्च, 2020 को या उसके पूर्व ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा।”

2-यह अधिसूचना 31 मई, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 663/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(127)-2020, dated July 1, 2020 :

No. 663/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(127)-2020

Dated Lucknow, July 1, 2020

In exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter referred to as the said Act), *read* with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 13 of 2017) and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 14 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. 445/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order- (118)-2020, dated May 11, 2020 namely :-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (ii), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :-

"Provided that where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and whose validity has expired on or after the 20th March, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of June, 2020."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of May, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 101 राजपत्र-2020-(203)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 28 सा० राज्य कर-2020-(204)-3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।